न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

मुकदमा नम्बर 39/2020 निर्णय दिनांकः 11.01.2021

1. सांवरमल 2. आशाराम 3. बाबूलाल 4. मांगीलाल पुत्रगण सुगनाराम जाति जाट निवासी कुन्तासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

——वादी

—:बनामः—

1. सुगनाराम पुत्र हडमानाराम 2. मदन 3. दीनदयाल 4. गीता 5. भंवरी पुत्रगण/पुत्रिया सुगनाराम जातिगण जाट निवासीगण कुन्तासर तहसील श्रीडूंगरगढ 6. कैलाश उम्र 13 वर्ष 7. सन्तोष उम्र 15 वर्ष अव्यस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता सुगनाराम जातिगण जाट निवासीगण कुन्तासर तहसील श्रीडूंगरगढ 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

——— प्रतिवादीगण

उपस्थित—

1. श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. श्री रामलाल नायक प्रतिवादी संख्या 1 से 07 की तरफ से।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद सांवरमल ने जरिये श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 आपस मे सगे भाई—बहिन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र पुत्रिया है। प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 423 तादादी 5.60 हैक्टेयर (5.42 हैक्टेयर बारानी व 0.18 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता) रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ जिल बीकानेर में स्थित है तथा उपरोक्त खसरा में कृषि नलकूप बना हुआ है, जिस पर कृषि विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी पारिवारिक सेटलमेन्ट हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 शादीशुदा है तथा अपने—अपने ससुराल में निवास कर रही है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उनके हक व हिस्से के रूप में शादी में दान—दहेज के रूप में दिया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने उपरोक्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा छोड दिया है तथा प्रतिवादी 2 ता 04 को हिस्सा पांति में अन्य संपति दी जा चुकी है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवारा किया जा चुका है, जिसके तहत वादी संख्या 1 के हिस्से में खसरा नम्बर 423 तादादी 5.60 हैक्टेयर रोही बिग्गा में से उतरी—पूर्वी तरफ 1.40 हैक्टेयर (1.36 है. बारानी 0.04 है. गैरमुमकिन रास्ता) मय कृषि नलकूप भूमि आई है, वादी संख्या 2 के हिस्से में खसरा नम्बर 423 तादादी 5.60 हैक्टेयर रोही बिग्गा में से उतरी—पश्चिमी तरफ 1.40 हैक्टेयर (1.36 हैक्टेयर बारानी 0.04 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता) भूमि आई है, वादी संख्या 3 के हिस्से में खसरा नम्बर 423 तादादी 5.60 हैक्टेयर रोही बिग्गा में से दक्षिणी—पश्चिमी तरफ 1.40 हैक्टेयर (1.35 हैक्टेयर बारानी 0.05 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता) भूमि आई है, वादी संख्या 4 के हिस्से में खसरा नम्बर 423 तादादी 5.60 हैक्टेयर रोही बिग्गा में से दक्षिणी—पूर्वी तरफ 1.40 हैक्टेयर (1.35 हैक्टेयर बारानी 0.05 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता) भूमि आई है। मद संख्या 4 में वर्णित पारिवारिक बंटवारा अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त व उपयोग—उपभोग में है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:05:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादीगण प्रतिवादी संख्या 8 के पास दिनांक 20.07.2020 को उपरोक्त मद संख्या 4 के अनुसार जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 8 ने बताया कि यह उसके क्षेत्राधिकार में नही है, उसके लिये श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दावा पेश करके खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानी पडगी। प्रतिवादी संख्या 8 भूमि धारक होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है, प्रतिवादी संख्या 8 से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु माननीय न्यायालय ही सक्षम क्षेत्राधिकार रखता है धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस का कोई ओचित्य नही है, फिर भी धारा 80 सी.पी.सीस. की छूट का धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि श्रीडूंगरगढ में स्थित होने के कारण दावा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। दावा पूर्ण कोर्ट फीस व अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावे :–

(क) कि वादी संख्या 1 के हिस्से में खसरा नम्बर 423 तादादी 5.60 है0 रोही बिग्गा में से उतरी–पूर्वी तरफ 1.40 है0 (1.36 हैक्टेयर बारानी 0.04 हैक्टे. गैरमुमकिन रास्ता) कृषि भूमि की खातेदारी घोषित की जावें।

(ख) कि वादी संख्या 2 के हिस्से में खसरा नम्बर 423 तादादी 5.60 है. रोही बिग्गा में से उतरी–पश्चिमी तरफ 1.40 है. (1.36 है.बारानी 0.04 हैक. गैरमुमकिन रास्ता) कृषि भूमि की खातेदारी घोषित की जावे।

(ग) कि वादी संख्या 3 के हिस्से में खसरा नम्बर 423 तादादी 5.60 हैक्टेयर रोही बिग्गा में से दक्षिणी–पश्चिमी तरफ 1.40 हैक्टेयर (1.35 हैक्टेयर बारानी, 0.05 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता) कृषि भूमि की खातेदारी घोषित की जावें।

(घ) कि वादी संख्या 4 के हिस्से में खसरा नम्बर 423 तादादी 5.60 हैक्टेयर रोही बिग्गा में से दक्षिणी–पूर्वी तरफ 1.40 हैक्टेयर (1.35 हैक्टेश बारानी 0.05 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता) कृषि भूमि की खातेदारी घोषित की जावें।

(ड़) कि वादीगण के पक्ष में खातेदारी घोषित की जाकर ट्रेस नक्शा एक्स में भी तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

(च) कि अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण हो, वह आज्ञाप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की तरफ से अधिवक्ता रामलाल नायक ने इकबालिया जबाब पेश कर राजीनामा पेश किया तथा निवेदन किया है कि वादीगण का दावा स्वीकार किया जाता है तो [illegible] की कोई आपति नहीं है।

बहस सुनी गई । बहस [illegible] पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रतिवादीगणों के राजीनामे के अनुसार वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:05:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

निर्णय

खेत खसरा नंबर 423 तादादी 5.60 (5.42 हैक्टेयर बारानी व 0.18 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता) हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 द्वारा अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में जरिये राजीनाम परित्याग करने पर उक्त खसरा भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 5.60 हैक्टयर भूमि का ब.हि.ब. हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड दिया गया है, अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ वादीगण के हक में छोडे गये हिस्से पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाप डयूटी वसूल कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद कर तहसीलदार, श्री डूॅगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, कब्जा काश्त के अनुसार वादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें । प्राथमिक डिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुना गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूॅगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:05:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्राथमिक डिकी मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

1. सांवरमल 2. आशाराम 3. बाबूलाल 4. मांगीलाल पुत्रगण सुगनाराम जाति जाट निवासी कुन्तासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर बनाम सुगनाराम वगैरहा

वाद बाबत घोषणात्मक विभाजन

मुकदमा नम्बर 39/2020 निर्णय दिनांक 11.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से श्री रामलाल नायक मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 423 तादादी 5.60 (5.42 हैक्टेयर बारानी व 0.18 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता) हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 द्वारा अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में जरिये राजीनाम परित्याग करने पर उक्त खसरा भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 5.60 हैक्टयर भूमि का ब.हि.ब. हिस्सा खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड दिया गया है, अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ वादीगण के हक में छोडे गये हिस्से पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाप डयूटी वसूल कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद कर तहसीलदार, श्री डूँगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, कब्जा काश्त के अनुसार वादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें ।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 11 माह जनवरी सन् 2021 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2.अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3.प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:05:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Scanned with CamScanner